न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 24/2017

अपीलान्ट

1. श्रीमति मनोहरकंवर पुत्री जवानसिंह (पत्नि स्व0 गजेन्द्रसिंह उर्फ छैलसिंह चौहान) जाति राजपूत निवासी सबलपुर तहसील रायपुर हाल निवासी श्रीसेला, तहसील बाली
2. श्रीमति जगदीशकंवर पुत्री जवानसिंह (पत्नि मनोहरसिंह खिंची) जाति राजपूत निवासी सबलपुरा तहसील रायपुर हाल निवासी करवर तहसील व जिला जोधपुर
3. श्रीमति संतोषकंवर पुत्री जवानसिंह (पत्नि पाबूसिंह) जाति राजपूत निवासी सबलपुरा तहसील रायपुर हाल निवासी पैरवा तहसील बाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. मंगलसिंह उर्फ मांगूसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत निवासी सबलपुरा तहसील रायपुर
2. महिपालसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील रायपुर
3. अभयसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपूत निवासी सबलपुरा तहसील रायपुर
4. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री भूपेन्द्र सैन, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
श्री बाबूलाल पंवार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3

–: निर्णय :–

दिनांक : 5/12/2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम सबलपुरा के नामान्तरकरण संख्या 254 पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 04.02.1983 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सबलपुरा के खसरा नम्बर412 रकबा 61 बीघा 12 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता जवानसिंह पुत्र नन्दलालसिंह की खातेदारी भूमि थी। जवानसिंह की मृत्य के पश्चात पटवारी हल्का

अति० जिला कलक्टर, पाली

द्वारा जवानसिंह के विधिक वारिशान की जांच किये बिना ही जैर अपील नामान्तरकरण मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम दायर किया गया है, जबकि उक्त भूमि में जवानसिह की पुत्रीयां होने के नाते अपीलाण्ट का भी हक हिस्सा निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दायर होने का नाजायज लाभ प्राप्त करते हुए उक्त भूमि का कागजों में बंटवाडा कर दिया। जवानसिंह पुत्र नन्दलालसिंह की मृत्यु निर्वसीयती हो जाने से उक्त भूमि के सम्बन्ध में दायर किया गया फौतेदगी नामान्तरकरण अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम दायर किया जाना चाहिये था, जो नही किया गया। इस कारण उक्त नामान्तरकरण पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश अपीलाण्ट के विरूद्ध आरम्भ से ही शून्य एवं बेअसर है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 04.02.1983 को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुए वांछित अनुतोष प्रदान कराने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण स्वीकृत होने के 34 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है, जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलाण्ट को आरम्भ से ही जानकारी थी कि उक्त भूमि उनके पिता की स्वअर्जित सम्पति नही है तथा पैतृक सम्पति है, जिसमें पुत्रियों को अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवानसिंह के विधिक वारिशान की जांच कर विधिवत नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। उक्त भूमि जवानसिंह की पैतृक भूमि थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में हुए संशोधन अनुसार पैतृक भूमियों में वर्ष 2005 के पश्चात पुत्रीयों का हक अधिकार माना है। इससे पूर्व हुए परिवर्तन को बाधित नही किया गया है। चूंकि जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1983 में स्वीकृत हो चुका है, इस कारण अपीलाण्ट का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार नही है। अपीलाण्ट अपने अपने ससुराल रहती है तथा मौके पर अपीलाण्ट का किसी भी रूप में कब्जा काश्त नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त भूमि का बंटवाडा करवाया जा चुका है तथा माफिक बंटवाडा मौके पर पृथक पृथक काबिज काश्त है। इस स्थिति में अपीलाण्ट मयाद बाहर अपील के जरिये किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अतः अपील खारिज करावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस के समर्थन में सी0सी0सी0 2016 (1) पेज 49 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण खातेदार जवानसिंह के फौत होने पर उसके पुत्र मांगूसिंह, अभेयसिंह, महीपालसिंह पि0 जवानसिंह राजपूत के नाम से दायर किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा स्वयं को जवानसिंह की पुत्रीयां होना बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत जैर अपील नामान्तरकरण की भूमि में अपना अधिकार होना बताते हुए नामान्तरकरण को निरस्त कराने एवं जवानसिंह के विधिक वारिशान के नाम नामान्तरकरण दायर करवाने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रश्न म्याद का है, तो इस सम्बन्ध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पक्षकारो के मध्य हक अधिकार जैसे जटिल बिन्दुओं का प्रश्न हो, वहां म्याद के बिन्दु पर प्रकरण का निर्धारण नही किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना ही न्यायोचित माना गया है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी रूप में अपीलाण्ट को जवानसिंह की

अति० जिला कलेक्टर, पाली

पुत्रीयां होने से स्पष्टतः इन्कार नही किया है। इस प्रकार यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाण्ट जवानसिंह की पुत्रीयां है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में हुए संशोधन के अनुसार मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिन्दू परिवार में पुत्रियों को पुत्र के समान ही अधिकार प्रदान किये गये है। इससे पूर्व हुए हस्तान्तरण अथवा अन्य किसी भी परिवर्तन पर यह संशोधन प्रभावित नही करता है। हस्तगत प्रकरण में जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1983 में दायर किया गया है तथा इसके पश्चात इस भूमि का विभाजन भी हआ है। उक्त रद्दोबदल हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में हुए संशोधन से पूर्व होने के कारण प्रभावित नही होते है। इस स्थिति में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नही पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम सबलपुरा के नामान्तरकरण संख्या 254 पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 04.02.1983 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधिनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 5/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली